न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(श्री बृजमोहन बैरवा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या :— 01/2017 (अ0अ0 एक्ट)
दायर दिनांक :— 18—01—2017
निर्णय दिनांक :— 27—12—2017

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

श्री पीरूलाल पिता श्री अम्बा लाल खटीक निवासी—कलालवाटी राजनगर, पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द

———अप्रार्थी,गे0सा0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953

उपस्थित :—
1— श्री कपिल व्यास अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
2— सहायक लोक अभियोजक

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांकःएफ17/4(7)अअसा/2011/1527 दिनांक 01—03—2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे0सा0 के विरूद्ध राजस्थान अभयासित अपराधी अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । गेरसायल/अप्रार्थी के विरूद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना **राजनगर** में दर्ज हुई है :—

क्र.सं.	प्र0सं0	जुर्मधारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	267/99	454,380,411 भादस	85/19.03.00	जैर ट्रायल
2	451/09	4/25 आर्मस एक्ट	338/29.09.09	जैर ट्रायल
3	316/11	379 भादस	232/31.'08.11	जैर ट्रायल
4	373/12	457,380 भादस	284/13.09.12	सजा 10.08.16
5	374/12	457,380 भादस	285/13.09.12	सजा13.09.16
6	131/15	8/21 एनडीपीएस एक्ट	83/24.04.15	जैर ट्रायल
7	154/15	4/25 आर्मस एक्ट	98/11.07.15	सजा 21.06.16
8	266/15	454,380 भादस	201/30.11.15	जैर ट्रायल
9	270/15	454,380 भादस	184/10.11.15	जैर ट्रायल

गेरसायल को राजस्थान अभयासित अपराधी अधिनियम, 1953 की धारा 6 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल मय अधिवक्ता उपस्थित । गेर सायल को दिनांक 13—02—2017 को नोटिस सुनाया गया । गैर सायल द्वारा 5,000/— रूपये के जमानत मुचलके पेश किया गये । गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश नही किया गया ।

पेरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई । सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि गैर सायल को 03 प्रकरणों में सजा हुई है एवं 06 प्रकरण अभी भी विभिन्न धाराओं में जैर ट्रायल है। गैर सायल एक अभ्यासित अपराधी हैं जो बार—2 अपराध कारित कर

समाज में भय व्याप्त करता है। गैर सायल की आदतों से समाज को खतरा है। अतः गेर सायल को जिला बदर किया जावे ।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के आवलोकर से यह जाहिर हैं कि गैर सायल को 03 प्रकरणों में सजा हुई है एवं 06 प्रकरण अभी भी विभिन्न धाराओं में जैर ट्रायल है। गैर सायल एक अभ्यासित अपराधी हैं जो बार–2 अपराध कारित कर समाज में भय व्याप्त करता है। गेर सायल को इन आरोपों के बचाव में साक्ष्य एवं प्रमाण पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु गेर सायल ने इसके खण्डन में ऐसा कोई ठोष प्रमाण पेश नहीं किये है, जिससे कि पैरवी पक्ष के प्रस्तुत आरोपों एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणों को न माना जा सके । गेर सायल के विरूद्ध प्रथमदृष्टया राजस्थान अभयासित अपराधी अधिनियम, 1953 की धारा 6 के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गेर सायल श्री पीरूलाल पिता अम्बालाल खटीक निवासी– कलालवाटी राजनगर पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द के विरूद्ध राजस्थान अभयासित अपराधी अधिनियम, 1953 की धारा 6 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध होने से इन्हें 15 दिन के लिए जिला राजसमन्द की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है कि वह बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के 15 दिन तक जिला राजसमन्द में प्रवेश नहीं करें। जिले से निष्कासन के दौरान गेर सायल प्रत्येक तीन दिवस को पुलिस स्टेशन मावली जिला उदयपुर में अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा । यह आदेश गेर सायल की पुलिस स्टेशन, मावली में प्रथम उपस्थित तिथि से लागु होगा । गेर सायल की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी को भेजी जावे।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 27.12..2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द